

शारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
आयुक्तिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषण,
निदेशांक मा 07 मा 08 शारखंड, राधेी

सेवा में,
सचिव,
सी 0 वी 0 एस 0 ई 0 नई दिल्ली।

राधेी, दिनांक 30/1/04


विषय- शारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी 0 वी 0 एस 0 ई 0, नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार उहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग शारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी 0 वी 0 एस 0 ई 0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बंधनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, काँक्रे रोड राधेी।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल जोकर राधेी।
3. इस्ट प्वाइन्ट राधेी।
4. सरस्वती विद्यामंदिर करकेट्टा परियोजना खेलाड़ी, राधेी
5. दयावती भीदी पब्लिक स्कूल उपेक्षनगर, घाण्डिल पूर्वी सिंहभूम।
6. गायत्री शिक्षा निदेशन उच्च विद्यालय, आर्नादलपुर सरायकेला-खरसावाी
7. डी 0 ए 0 सी 0 पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आर्के सीटीवन तालडांगा हाउसिंग कलोनी सिद्धपुरा केलासाद ।
9. सुनभम नर्सिंग स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग ।
10. सरस्वती शिक्षा विद्या मंदिर अरगड़ा गिरौडीहा।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्प गोजेहा, हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर मोहन रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन माउन्ट इंग्लिश, जेल रोड मुमडा।

शर्त एवं बंधन जिसे अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

1. विद्यालय की वार्षिक बचत तथा 10 प्रतिशत से अधिक नती होने पर निर्गत हो सके कि विद्यालय लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया।


Principal
Gayatri Shiksha Niketan
Adityapur

गया है।

कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समरूप कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा।
3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निर्बंधित या कम से कम 30 वर्ष के निर्बंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए यदि भविष्य में जांचोपरांत भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।
4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा।
6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्रों का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय का कार्य कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं -यत्नित्व विकास हेतु साकारात्मक प्रसास करना होगा।
8. विद्यालय में छात्रों की सुरक्षित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।
9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीचीनरान्त संशोधन कर लेगी।
10. विद्यालय संचालन हेतु प्रकृता नियमावली के आधार पर गठित शासकीय निकाय के सदस्यों की कार्यवधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्रमा कटना होगा।
11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के रक्तरेखन प्रोग्राम तथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 स्काउड एवं गार्ड आदि को सुचारु रूप से करना होगा।
12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बन्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित होगा।
13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।
14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित जागजातों एवं अभिलेखों को जाली वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरुद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।
15. विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धनों को अनुपालन नित्य का रहा है अथवा नहीं इसकी जांच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, गुणगुण

Principal
Gayatri Shiksha Niketan
Adityapur

शरखंड के तक्षम पदाधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विधायक संस्था के वित्तीय एवं असाक्षरी अनियमितताओं को जांच करा सकेगी और अंततः जांचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निर्णय प्रशस्तमय माननीय शरखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विधायक सम्बन्धन संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उतका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शास्त्रों का उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य जामूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वात्मजन

निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/ शरखंड, रांची ।

शापांक 209 / रांची, दिनांक - 30.1.04
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशांक/ सभी संबंधित जिला शिक्षा-धर पदाधिकारी/ सभी संबंधित विधायक के प्रधानाध्यापकों को सूचना प्रेषित ।

निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/ शरखंड, रांची ।

शापांक 209 / रांची, दिनांक - 27.1.04
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, शरखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्य प्रेषित ।

निदेशांक/माध्यमिक शिक्षा/ शरखंड, रांची ।

Principal
Gayatri Shiksha Niketan
Adityapur